

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली।

प्रेस-विज्ञप्ति

सादर अवगत कराना है कि उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या -2448/एसएलएसए-83/2025 (सन्दीप/आरआई) दिनांकित 04 अगस्त, 2025 एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार ऐसे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण जोकि सेवानिवृत्त उपरान्त अपनी सेवाएं मध्यस्थ के रूप में देना चाहते हैं, के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः ऐसे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण जोकि सेवानिवृत्त उपरान्त अपनी सेवाएं मध्यस्थ के रूप में देना चाहते हैं, संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली के कार्यालय में दिनांक 19.08.2025 की सायं 05.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर/पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त करा सकते हैं। उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद न्यायालय, बरेली की वेबसाइट <http://bareilly.dcourts.gov.in> पर Recruitment ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है।

दिनांक: 14.08.2025

भवदीय

(उमा शंकर कहार)

अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बरेली।

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- ओ.एस.डी. कम्प्यूटर, रजिस्ट्रार (जे.) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
- 3- श्रीमान प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) जनपद न्यायालय, बरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति को जनपद न्यायालय, बरेली की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, बरेली को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क व जनहित में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 5- श्रीमान अध्यक्ष/सचिव, बरेली बार एसोसियेशन, बरेली को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु एवं समस्त अधिवक्ताओं के मध्य परिचालित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 6- केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, बरेली को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति को जनपद न्यायालय, बरेली के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 7- केन्द्रीय नाजिर, जिलाधिकारी, बरेली को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति को कलेक्ट्रेट, बरेली व समस्त तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।


(उमा शंकर कहार)

अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बरेली।

अनुसूची-एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र, बरेली
(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
4. दूरभाष संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
5. मोबाईल संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वर्णित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है ?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है?

स्व:प्रमाणित
फोटो
चिपकायें

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ, और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक

स्थान

पूर्ण हस्ताक्षर